प्रेषकः महानिदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

कमांक 5164-88 /टी0आई0 – 5
दिनांक 05-09-2013

विषयः **Incident of eve-teasing and slapping with a girl student.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में Consultant, Member Secretary, Haryana State Commission for Women के कार्यालय के पृ0 पत्र कमांक 161 दिनांक 24.04.2013 द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि दिनांक 20.04.2013 को 'अमर उजाला' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार **'चलती बस में छेडछाड, छात्रा को जडे थप्पड'** शीर्षक में राज्य परिवहन की बस सेवा में सवार गांव बरेली जिला पंचकूला की एक छात्रा को एक युवक द्वारा शारीरिक छेडछाड करने के विरोध पर युवक ने उसे थप्पड जड दिए। बस में हंगामा बढता देख बस चालक ने बस को माजरी चौक पर रोक दिया तथा युवक मौका पाकर फरार हो गया, परन्तु युवक को सबक सिखाने के लिए छात्रा ने सैक्टर–5, पंचकूला के पुलिस स्टैशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस द्वारा युवक को गिरफ्तार करके विभिन्न सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

यह बहुत शर्म व खेद की बाद है कि हरियाणा राज्य परिवहन की प्रतिष्ठित सेवा में ऐसी घिनौनी घटना घटी है। भविष्य में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कडे उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य परिवहन के सभी महाप्रबन्धकों/उडनदस्ता अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपनी Jurisdiction में उनके अर्न्तगत कार्यरत सभी चालकों/परिचालकों को उचित निर्देश जारी करें कि उनके कार्य निर्वाह के दौरान यदि किसी महिला यात्री के साथ बस में किसी भी तरह की कोई छेडछाड का मामला उनके ध्यान में आता है तो उस महिला यात्री के साथ पूर्ण सहानुभूति दिखाते उसकी हर सम्भव सहायता करेंगे ताकि उसके मनोबल को कोई ठेस न पहुंचे और बस में उसका पूरा सम्मान हो, और यदि आवश्यक हो मामला नजदीकी पुलिस स्टेशन के संज्ञान में भी ला दिया जाए।

कृते महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ

पृ0 कमांक /टी0आई0 दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति Consultant, Member Secretary, Haryana State Commission for Women को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 161 दिनांक 26.04.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

कृते महानिदेशक
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ

प्रेषक,

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

पृ० कमांक 43664-88टी०आई०—4
दिनांक 8-10-13

विषयः— Report regarding problems of student/public due to non-plying of buses and shortage of routes.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि अतिरिक्त निदेशक, जनरल आफ पुलिस, सी०आई०डी०, हरियाणा, चण्डीगढ से प्राप्त पत्र छाया प्रति भेजकर आम जन व स्कूली बच्चों को बस सेवाएं प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जाते है कि प्रातः व छुट्टी के समय बसें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

8/10/13

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ 8/10/13

पृ० क०　　　　टी०आई०—4　　　　दिनांक

इसकी एक प्रति अतिरिक्त, निदेशक, जनरल आफ पुलिस, सी०आई०डी०, हरियाणा, चण्डीगढ को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 568 / पी०ए० / ए०डी०जी०पी० / सी०आई०डी० दिनांक 26.06.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

—Sd—

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ

-20-

3-

कार्यालयः— महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

सेवा में,

उप प्रधान सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा।

कमांक 4667 टी0आई0—4
दिनांक 23.10.13

विषयः— **अप्रर्याप्त बस सेवा बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय के डायरी कमांक 1747 / दिनांक 25.09.2013 के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सन्दर्भित पत्र सीधे इस कार्यालय में दिनांक 25.09.2013 को प्राप्त हुआ था, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए हरियाणा राज्य परिवहन के सभी महाप्रबन्धकों को आमजन व विद्यार्थियों को स्कूल मे पहुंचने के समय व छुट्टी के समय प्रर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे दिनांक 08.10.2013 को निर्देश जारी करके अतिरिक्त, महानिदेशक, पुलिस गुप्तचर, हरियाणा को उनके कार्यालय के पत्र क0 568 / पी0ए0 / ए0डी0जी0पी0 / सी0आई0डी0 दिनांक 26.09.2013 के सदर्भ में सूचित किया जा चुका है।

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ।

From

The Deputy Transport Controller(Tr.),
State Transport,
Haryana, Chandigarh.

To

The District Attorney,
State Transport,
Haryana, Chandigarh

Memo. no. 4686 /T.I.-4
Dated, Chandigarh, the 25.10.2013

Subject:- CWP No. 10258 of 2013- Lawyer for Human Rights International(Regd.) Vs. State of Haryana & others.

With reference to your office memo. No. 4174/A4/DA/2013 dated 23.10.2013 to above the Point wise reply is as under:-

Point A(iii) The following measures have already been taken by the Department.

1. All General Managers have been directed to issue instructions to bus crew to put on prescribed uniform with name plate affixed on it
2. Women helpline Number has been got displayed in each and every bus.
3. Black glasses of Volvo Buses have been got replaced with transparent glasses.
4. All General Managers have been directed to issue direction to their operational staff to help the women passenger in case of eve-teasing and accompany the women passenger for lodging complaint in the nearby police stations against the culprits.

Copy of the circulars issued to all the General Managers in this regard are enclosed for your reference please.

Point C(vi) It does not come under the Jurisdiction of DTC(Tr.)

The Deputy Transport Controller(Tr.),
for Director General,State Transport,
Haryana, Chandigarh

5

प्रेषक

महानिदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

श्री सी0के0 खेतान,
संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108

क्रमांक 5675 /टी0आई0–4 दिनांक 22-1-14

Subject:- Women commuters harassed while travelling in urban transport systems.

उपरोक्त विषय बारे आपके कार्यालय के अर्धसरकारी पत्र क्रमांक K-14011/21/2013-UT-II dated the 14th November, 2013 के संदर्भ में

1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3106–26/टी0आई0–3/ दिनांक 12.07.2007 में राज्य परिवहन की बस सेवाओं में महिला यात्रियों के लिए सीटें निर्धारित करने की हिदायत जारी की हुई है।(प्रति संलग्न)

2 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4164–88/टी0आई0–5/ दिनांक 05.09.2013 में eve teasing इत्यादि की घटनाओं को रोकने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।(प्रति संलग्न)

3 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1508–36/टी0आई0–4/ दिनांक 20.07.2011 में बसों पर कार्य निर्वाह करने वाले सभी चालकों/परिचालकों को विभाग द्वारा जारी निर्धारित वर्दी पहनने व उस पर नाम पट्टीका लगाने की हिदायत जारी की हुई है।(प्रति संलग्न)

4 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1140–64/टी0आई0–4/ दिनांक 04.03.2013 में सभी बस सेवाओं में महिला हैल्पलाईन नम्बर लिखने के निर्देश जारी किए हुए हैं। (प्रति संलग्न)

5 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4366–88/टी0आई0–4/ दिनांक 08.10.2013 में स्कूली बच्चों व आमजन की मांग अनुसार बस सेवाएं उपलब्ध करवाने बारे निर्देश जारी किए हुए हैं।(प्रति संलग्न)

कृते महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ़।

कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
   हरियाणा राज्य परिवहन।
2. उड़नदस्ता अधिकारी,
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली।

क्रमांक 379 /टी0आई 3 दिनांक 4-9-2014

विषयः बसों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों के नम्बर निर्धारित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको ज्ञात है हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में विभिन्न श्रेणियों हेतू निम्नानुसार सीटें आरक्षित की गई हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी	सीटों की संख्या	आरक्षित सीटों का विवरण	टिप्पणी
1	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक	2	अगली खिडकी के पीछे वाला दो सीटों वाला बैंच (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	परिवहन आयुक्त के पत्राक 3106–26 / टी0 आई0–3 / दिनाक 12.07.2007 द्वारा
2	स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिक / विकलांग	3	चालक सीट के पीछे तीन सीटों वाला बैंच (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	
3	महिलाएं	15	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक / स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिकों / विकलांगों के पीछे दो एवं तीन सीटों वाले लगातार तीन–तीन बैन्च (टाटा एवं लेलैण्ड दोनों टाईप की बसों में)	

उपरोक्त अनुसार सीटें आरक्षित करते समय सीटों के नम्बर निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके कारण अलग–2 डिपूओं में अलग–2 सीट नम्बर निर्धारित किए जा रहे हैं। उक्त की वजह से यात्रियों को असुविधा होती है तथा कई बार आरक्षित सीट को लेकर झगडे भी होते हैं। विभाग में साधारण बसों में भी ए0सी0 बसों की तर्ज पर ऑन–लाईन बुकिंग की सुविधा शुरू करने बारे विचार किया जा रहा है जिसके लिए भी आरक्षित सीटों के नम्बर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। अतः मामले पर विचारोपरान्त विभिन्न श्रेणियों के लिए साधारण बसों में निम्नानुसार सीट नम्बर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षित सीट नं0
1	स्वतंत्रता सेनानी / वरिष्ठ नागरिक / विकलांग	4 से 6
2	सांसद / विधायक / पूर्व सांसद / पूर्व विधायक	10 से 11
3	महिलाएं	7 से 9, 12 से 21 तथा 25 से 26

अतः सभी महाप्रबन्धकों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी साधारण बसों में सीटों पर आरक्षित श्रेणियों बारे तदानुसार लिखवाना सुनिश्चित करें।

4/9/14

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ

पृ0 क्रमांक 380 /टी0आई–3 दिनांक 4-9-14

इसकी एक–2 प्रति मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

4/9/14

महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ

पृ0 क्रमांक 381 /टी0आई–3 दिनांक 4-9-2014

इसकी एक प्रति उप–परिवहन नियंत्रक(पी0 एण्ड डी0) को 22.08.2014 को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में प्रेषित है।

4/9/14

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ

अति आवश्यक/शीघ्र अनुपालना हेतु

प्रेषक

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा
चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी महाप्रबन्धक
   हरियाणा राज्य परिवहन,

2. उड़न दस्ता अधिकारी,
   आई.एस.बी.टी. देहली।

क्रमांक 1018 /टीआई–4
दिनांक 5.12.14

विषय :– हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये उठाने जाने वाले पग।

बस अड्डो तथा बसों में यात्रा के दौरान यात्रियों तथा खासकर महिला यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार की संभावना को देखते हुए तथा हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक–सोनीपत मार्ग पर चलती बस में कुछ शरारती लड़को द्वारा लडकियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की घटना का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुये महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये सभी महाप्रबन्धकों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है:–

1. सभी महिलाओं के लिये आरक्षित सीट उन्हें दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सभी कर्मचारियों को भी इस बारे जागरूक किया जायेगा कि वह बस में यात्रा कर रही महिलाओं को सीट देने में प्राथमिकता दें तथा वह उनसे शिष्टतापूर्वक व्यवहार करें।
2. सभी कर्मचारियों विशेषकर चालक/परिचालक को यह हिदायत दी जाए कि यदि कोई ऐसा मामला जिसमें कि महिला यात्री से कोई अभद्र व्यवहार किया गया या स्वयं की मौजूदगी में ऐसा घटित हो तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित विभागीय अधिकारियों/निकटवर्ती पुलिस स्टेशन /चौकी में दी जाये।
3. बस के अन्दर मुख्य–2 स्थानों पर तीन–चार जगह पर महिला हैल्पलाईन नं0 1091/100 बड़े–2 अक्षरों में लिखवाया जाए।
4. सभी बस स्टैंडों /बसों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे शीघ्र लगवाने हेतु कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाये।
5. चालक/परिचालक तथा अन्य वर्कशाप स्टाफ को महिलाओं के प्रति व्यवहार में संवदेनशीलता एवं शिष्टाचार को बनाये रखने के लिये जागरूक किया जाये व समय–समय पर इसके बारे में Action taken report इस कार्यालय को भिजवाये।
6. मुख्य बस स्टैण्ड एवं वह बस स्टैण्ड जहां पर विद्यार्थियों का आवागमन अधिक होता है, पर आवश्यकता अनुसार एक –दो या अधिक निरीक्षक/उप निरीक्षक अथवा वरिष्ठ परिचालक [illegible] के अलावा ड्यूटी पर तैनात करें व उन्हें खास हिदायत दी जाये

कि वह महिलाओं से अभद्र व्यवहार के मामले पर खास नजर रखे तथा किसी अप्रिय घटना की सूरत में तुरन्त कार्यवाही करते हुये उच्च अधिकारियों व पुलिस को भी सूचित करें।

7. चैकिंग स्टाफ द्वारा चैकिंग के दौरान अपने चैकिंग क्षेत्र में इस प्रकार के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाये व अभद्र व्यवहार की हालत में महिला यात्री के साथ हर सम्भव सहयोग किया जाए तथा सभी महाप्रबन्धको द्वारा सभी बस अड्डो पर लगाये गये स्टैण्ड इन्चार्जो को अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहने के लिये प्रेरित किया जाये।

8. सभी महाप्रबन्धक अपने स्तर पर अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की समय–2 पर एक बैठक बुलाकर इन बिन्दुओं पर बातचीत करने उपरान्त अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय को संलग्न प्रोफार्मा अनुसार मासिक तौर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। (प्रोफार्मा संलग्न)

9. प्रातः के समय व शिक्षण संस्थानों की छुट्टी के समय जब बस अड्डों पर विद्यार्थियों की अधिक भीड़ होती है, अड्डा इन्चार्जो द्वारा उन्हें पर्याप्त मात्रा व शीघ्र बसें उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित तुरन्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

10. इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित Judgment की प्रति तथा CCP 1973 के सैक्शन 39 की प्रति अनुपालना हेतु संलग्न की जाती है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही अमल में लाई जाये तथा इसे परम अग्रता दी जाये। उपरोक्त बिदुंओ की अनुपालना में अगर कोई कोताही बरती जाती है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

–Sd–

महानिदेशक, राज्य परिवहन
हरियाणा, चंडीगढ़।

पृ0 कमांक 1686 /टीआई–4 दिनांकः 5/12/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मन्त्री महोदय
3. अतिरिक्त प्रधान सचिव/ माननीय मुख्य मन्त्री महोदय
4. प्रधान सचिव परिवहन।
5. परिवहन आयुक्त, हरियाणा चंडीगढ़।
6. महानिदेशक, हरियाणा पुलिस
7. विशेष कार्यकारी अधिकारी/माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
8. निजी सचिव/परिवहन मंत्री, माननीय परिवहन मंत्री के ध्यानार्थ हेतू।
9. सभी जिला उपायुक्त , हरियाणा।
10. सभी जिला पुलिस अधीक्षक , हरियाणा।

महानिदेशक, राज्य परिवहन
हरियाणा चण्डीगढ़।

कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा चण्डीगढ।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
   हरियाणा राज्य परिवहन।

2. उडनदस्ता अधिकारी,
   आई0एस0बी0टी0–दिल्ली।

क्रमांक 834-35 /टी0आई–3 दिनांक 30-12-2014

विषयः चालकों/परिचालकों द्वारा दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 635–36/टी0आई0–3 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि आप अपने आगारों के सभी चालकों/परिचालकों को समूहों में बैठकें करके यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार करने बारे उचित दिशा–निर्देश देवें। इस सम्बन्ध में अनुपालना रिपोर्ट अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है और अभी भी भारी संख्या में चालकों/परिचालकों द्वारा बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिससे न केवल विभाग को वित्तिय नुकसान हो रहा है बल्कि विभाग की छवि भी धूमिल हो रही है। यह एक चिन्ता का विषय है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने आगारों के चालकों/परिचालकों को यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार करने बारे उचित दिशा–निर्देश देवें तथा अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

30/12/14

कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ

2/1/2015

कार्यालयः– महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ।

9-

सेवा में

महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,
दिल्ली।

क्रमांक 942 /टीआई0–3 दिनांक 22-1-15

विषय– हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं को आरक्षित सीट प्रदान करने बारे।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 379/टी0आई0–3/दिनांक 04.09.2014 द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि हरियाणा राज्य परिवहन की सामान्य बसों में महिलाओं को यात्रा के दौरान आरक्षित सीटें उपलब्ध करवाई जाएं। इस सन्दर्भ में पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने आगार के सभी परिचालकों को पुनः निर्देश जारी करें कि वे महिलाओं को आरक्षित सीट उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित परिचालक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Bsm 21/1/15

o/c कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन,
हरियाणा,चण्डीगढ
21/1/15

पृ0क्रमांक 943 /टी0आई–3 दिनांक 22-1-15

इसकी एक प्रति सुश्री सुनीता यादव, गांव ढाणी हरसुख(भौरी), पी0ओ0–गुजरवास, तहसील अटेली, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा–123021 को सूचनार्थ प्रेषित है।

Bsm 21/1/15

o/c कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ
21/1/15